हरित पीठ के मापदंड पर ही काटे जाएं पेड़ –सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। न्यायमूर्ति रंजन गोगई की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार से कहा कि पेड़ काटने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की हरित पीठ ने कुछ मापदंड निर्धारित किए हैं, लिहाजा वह उसके अनुरूप ही काम करेगी। उत्तर प्रदेश की ड्रीम परियोजना कही जाने वाली चक गजरिया के लिए काटे गए पेड़ों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस संबंध में हरित पीठ द्वारा निर्धारित पैमाने को ही आधार मानेगी।

पीठ ने कहा कि परियोजनाओं के मद्देनजर कभी–कभी पेड़ों को काटना जरूरी होता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि संबंधित अथॉरिटी से अनुमति ली जाए। पीठ ने कहा कि इस परियोजना को लेकर राज्य सरकार ने उचित अथॉरिटी से अनुमति नहीं ली। करीब 900 एकड़ भू–भाग में शुरू होनी वाली इस परियोजनाओं के लिए 413 पेड़ काटे गए हैं।

एनजीओ 'वी द पीपल' के महासचिव अधिवक्ता प्रिंस लेनिन द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने राज्य सरकार को चक गंजरिया में पेड़ों की कटाई तुरंत रोकने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के लिए 10 मार्च की तारीख तय करते हुए जस्टिस रंजन गोगोई व जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष की बेंच ने प्रशासन से कड़े शब्दों में कहा कि अगर 10 मार्च को वह मामले पर सुनवाई चाहते हैं तो अब कोई पेड़ न कांटे, वर्ना अगले हफ्ते वे खुद मामले को देखेंगे। इसके साथ ही पेड़ों की कटाई पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञों से कहा है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पर्यावरणविद् अधिवक्ता एडीएन राव को 992 एकड़ के चक गंजरिया फार्म की जमीन का निरीक्षण विजिट करने के लिए बतौर अमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) कहा है। राव को निरीक्षण करके विस्तृत रिपोर्ट सुनवाई के दौरान देने के लिए कहा है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता राव ने कहा कि अगर यह भूमि वन विभाग की है तो इस पर अलग कानूनी प्रावधान लागू होंगे जिसमें केंद्र सरकार की भी भूमिका रहेगी। वहीं यह भूमि अगर वन क्षेत्र नहीं है तो पेड़ काटने से जुड़े अन्य कानूनों का पालन करना होगा। दूसरी ओर प्रदेश सरकार के अधिवक्ता अशोक देसाई ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया कि पेड़ों की कटाई कानूनों के अनुसार की जा रही है। दूसरी ओर याचिका में प्रदेश सरकार व कृषि उत्पादन आयुक्त को निर्देश देने की मांग की है कि पेड़ न काटे जाएं।❑

सुप्रीम कोर्ट ने लिंग परीक्षण संबंधी विज्ञापनों पर लगाई रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गूगल, याहू जैसी वेबसाइटों को लिंग परीक्षण से संबंधित विज्ञापन ब्ल क करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि भारत का कानून इसकी इजाजत नहीं देता है, लिहाजा विदेशी वेबसाइट इसका उल्लंघन नहीं कर सकते।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चन्द्र पंत की पीठ ने यह आदेश केंद्र सरकार का पक्ष सुनने के बाद दिया। केंद्र सरकार की ओर से पेश स लिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने पीठ के समक्ष कहा कि प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण (पीएनडीटी) एवं संभावित गर्भपात से संबंधित जानकारी का प्रचार–प्रसार करने वाले यूआरएल (यूनिफार्म रिसोर्स लोकेटर) को ब्ल क किया जा सकता है, अगर इस बारे में उन तक जानकारी पहुंचाई जाए। स लिसिटर जनरल ने कहा कि प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण, प्रसव पूर्व डायग्नोस्टिक, प्री– नैटल अल्ट्रासोनोग्राफी, सेक्स सेलेक्शन प्रोसीजर, सेक्स सेलेक्शन आदि 'कीवर्ड' की जानकारी उन तक पहुंचाई जाए तो उससे संबंधित यूआरएल को ब्ल क करने में आसानी होगी।

सरकार ने यह भी कहा कि गूगल, याहू, माइक्रोसाफ्ट आदि सर्च इंजन भी इस तरह के यूआरएल को ब्ल क कर सकते हैं।

पीठ ने गूगल, याहू और माइक्रोस फ्ट आदि वेबसाइट से कहा कि वे इस तरह का विज्ञापन का प्रचार–प्रसार न करें, जो पीएनडी एक्ट, 1994 की धारा 22 और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत प्रतिबंधित है। पीठ ने कहा कि अगर सर्च इंजन में इस तरह का विज्ञापन हो तो उसे तत्काल हटाया जाए। याचिकाकर्ता साबू मैथ्यू जार्ज की ओर से पेश वरिष्ठ वकील समीर पारिख ने कहा कि सर्च इंजन को विश्व भर में उन सामग्रियों या सेवाओं, जिसे संबंधित देश का कानून इजाजत नहीं देता, को ब्ल क करने का आदेश दिया जाता रहा है। अदालत का यह आदेश इस मायने में बेहद अहम है, क्योंकि वर्ष 2014 में भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर 940 महिला था। चिंता की बात यह है कि हरियाणा में यह अनुपात प्रति एक हजार पुरुष पर 857 महिलाएं, पंजाब में 863 महिलाएं, उत्तर प्रदेश में 874 महिलाएं, दिल्ली में 884 महिलाएं, राजस्थान 893 महिलाएं, जम्मू एवं कश्मीर में 895 महिलाएं और महाराष्ट्र में 896 महिलाएं हैं।❑

कतन्ना

-शब्दवेधी

❑ मदरसा बोर्ड की वेबसाइट पर ब्रांडेड जूतों की सेल —न्यूज

♦ परेशानी क्या है? क्या चमरौधा बेंचे

❑ काले धन का मामला काफी पेचीदा है —शाह

♦ जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तभी उसको दूसरों की ऊंचाई का पता चलता है।

❑ कुछ मंत्री लूट–खसोट में लगे हैं —मुलायम सिंह यादव

♦ नेता जी, कीड़ा गन्दी नाली से दूर कैसे रह सकता है।

❑ दूर हो रहे संघर्ष के साथी —अखिलेश यादव

♦ चापलूसों के नजदीक आते ही निष्ठावान दूर हो जाते हैं उन्हें नजदीक लाने की जिम्मेदारी आपकी है।

❑ क्या साध्वी भी बच्चे पैदा करेंगी —शिवपाल सिंह यादव

♦ उन्होंने नहीं पैदा किए आपको कैसे मालूम?

❑ मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने क्या किया है? जब अमेरिकी कंपनियों द्वारा भारत में लगाए गए न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ गड़बड़ होगी तो अमेरिकी कंपनियों को मुआवजा नहीं देना होगा। मुआवजा भारत सरकार को देना होगा। —राहुल गांधी

♦ लगता है आपकी याददाश्त कमजोर है बिल तो अपकी सरकार ने ही पास कराया था वैसे भी भोपाल त्रासदी का अभियुक्त एण्डरसन मर गया आपकी सरकार उसे इंडिया ला नहीं पायी।

❑ मुझे वेदांता, नियामगिरी प्रोजेक्ट रोकने पड़े, क्योंकि राहुल चाहते थे।
—जयंती नटराजन, पूर्व पर्यावरण मंत्री

♦ आप मंत्री भारत सरकार की थीं कि राहुल के घर की। क्या राहुल कह देते कि चकला घर चलाइए तो आप चलाने लगती। क्यों न इसके लिए आपको जेल में डाल दिया जाय?

❑ भारत में धार्मिक भेदभाव देख गांधी भी सदमे में डूब जाते —ओबामा

♦ लेकिन जब उतराते तो होते तुम्हारी अम्मा के पास

❑ हम सीएम होते तो स्वार्थी मंत्रियों को बर्खास्त कर देते —मुलायम सिंह यादव

♦ अरे, आप तो सी.एम. क्या सी.एम. के बाप हो उससे भी बड़ी कार्रवाई कर सकते हो हिम्मत तो करो।

❑ सपा मुखिया मुलायम सिंह का भी मंदिर बनाया जाना चाहिए। —आजम खां

♦ अमां मियां, कैसे मुसलमान हैं आप। इस्लाम में मूर्तिपूजा (बुतपरस्ती) की मनाही है।

❑ आज भी बिक रहे हैं वोटर —कल्याण सिंह, राज्यपाल, राजस्थान

♦ जब इस देश के मंत्रियों, राज्यपालों का जमीर बिक गया तो वोटर की क्या बिसात।

❑ मैं देखूंगा कि इस आधार पर राहुल गांधी पर केस बनेगा या नहीं —सुब्रह्मण्यम स्वामी

♦ क्या बेवकूफी की बात कर रहें। अरे ये देखिए कि जयन्ती पर केस बनता है कि नहीं।

❑ मोदी जो कहते हैं कर दें तो अमर हो जायें —शशि थरुर

♦ मोदी अमर हो न हों आपने तो ऐसा कर दिया कि सुनन्दा तो अमर हो गयी। सही जांच हो जाये तो आप भी अमर हो जायेंगे।

इस अखबर को और भी बेहतर एवं न्यायतंत्रोपयोगी बनाने के लिये अपने विचार, सुझाव, न्यायतंत्र से जुड़ी खबरें तथा शिकायतें हमें निम्न पते पर भेज सकते हैं–

अम्बिका प्रसाद, एडवोकेट, संपादकः 'जजमेण्ट आजतक'
हिमांशु सदन, 5 पार्क रोड, लखनऊ, मो.: 9839010677
E-mail: judgementaajtak@gmail.com